24.2.21 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील अपीलांट का कथन है कि हमने तहत न्यायालय में हमने वाद पेश किया। हमने तहत न्यायालय से हमारे सीमा तक वाद पत्र को खारिज करने का निवेदन नहीं किया था। परन्तु फिर भी वाद पत्र खारिज कर दिया। तरतीबी रेस्पो. वादीगण मुनीराब हसमुदीन ने उनकी हद तक वाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया था, हमने निवेदन नहीं किया था। स्थगन हेतु हमारा प्रथमदृष्टया मामला बनता है। अतः स्थगन प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान वकील कॅविएटर्स का कथन है कि वादीगण अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो. ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश किया। उस वाद पत्र में सभी वादीगण के कथन आपस में विरोधाभासी है। वादीगण का आपस में तालमेल नहीं है। वाद पत्र को खारिज कराने का इन्होंने प्रा. पत्र दिया है। जिस पर इनके हस्ताक्षर है। वाद पत्र इनके कहने पर खारिज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही

किया गया है / ऐसी स्थिति में अपील चलने योग्य नहीं है /

जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कथन है कि हमने वा. पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये हैं / हमारे फर्जी हस्ताक्षर किये गये हो हमने दावा खारिज करने का निवेदन नहीं किया था /

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया / साथ ही अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया / अपीलाधीन निर्णय दि. 29.1.21 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र वादी सं. 1 ला. 2 एवं 3 ला. 5 के आपसी विवादित कथन मानते हुए खारिज किया है। इस संबंध में अदालत हाजा का विचारित मत है कि वाद पत्र को इस स्तर पर खारिज नहीं करना चाहिये था / अगर कोई वादी अपना वाद खारिज कराना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा उसके हद तक वाद पत्र खारिज किया जा सकता है, सम्पूर्ण वाद खारिज नहीं किया जा सकता / यहां यह उल्लेखनीय है कि निर्मित वाद को साक्ष्य लेकर ही निस्तारित करने चाहिये / अपीलांट की बहस तर्कों को देखते हुए प्रतीत होता है कि अगर वाद पत्र को गुणावगुण पर निस्तारित नहीं किया गया तो प्रकरण का गुणावगुण का प्रश्न ही गौण हो जायेगा / ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने हेतु रिमांड किया जाना ही न्यायोचित समझते हैं

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	

जहां तक स्थगन दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अपील के तथ्यों एवं अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन करने के उपरान्त अपीलांट का स्थगन हेतु प्रथम-दृष्टतया मामला नहीं बनता है। इसलिये स्थगन प्रा० पत्र खारिज किया जाता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दि० 29.1.21 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित व अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दि० 24.3.21 को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से रम हो दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर